झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक–5/विविध 14–65/2014 ज०स०वि० 7463 /राँची, दिनांक– 18/12/19

प्रेषक,

सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग, राँची।

सेवा में,

प्रशासक,
सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर।

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित),
जल संसाधन विभाग।

निदेशक,
भू–गर्भ, जल निदेशालय, राँची।

वित्त पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर।

उप सचिव (प्रबंधन),
जल संसाधन विभाग।

अवर सचिव (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग।

उप समाहर्त्ता,
राजस्व प्र०, राँची।

सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।

विषय:– सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों की HRMS में स्थापना संबंधी आदेश/अधिसूचना ऑन–लाइन (OTM Module से) निर्गत करने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन।

महाशय,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं विभागीय पत्रों द्वारा पूर्व में स्थापना संबंधी आदेश/अधिसूचना ऑन–लाइन (OTM Module से) निर्गत करने हेतु निदेशित किया गया है। कई कार्यालयों द्वारा स्थापना संबंधी आदेशों का निर्गमन HRMS के माध्यम से किया भी जा रहा है। परन्तु कतिपय कार्यालयों द्वारा ऐसे आदेश अभी तक off-line ही निर्गत किये जा रहे हैं जो अवांछनीय है।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा OTM Module संबंधी प्रशिक्षण पूर्व में दिया जा चुका है। विभाग द्वारा यह प्रशिक्षण पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी कम में जल भवन, डोरण्डा, राँची स्थित सभागार (चतुर्थ तल) में निम्नानुसार OTM Module संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है जिसमें संबंधित कर्मी, जिन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, भाग ले सकेंगे।

दिनांक	समय	अभ्युक्ति
03.01.2020	10:30 से 13:00 बजे	लघु सिंचाई के ऐसे कर्मियों के लिये जिनका मुख्यालय राँची के बाहर है।
03.01.2020	14:30 से 17:00 बजे	लघु सिंचाई के ऐसे कर्मियों के लिये जिनका मुख्यालय राँची है।
06.01.2020	10:30 से 13:00 बजे	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई को छोड़कर) के ऐसे कर्मियों के लिये जिनका मुख्यालय राँची के बाहर है।
06.01.2020	14:30 से 17:00 बजे	जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई को छोड़कर) के ऐसे कर्मियों के लिये जिनका मुख्यालय राँची है।
07.01.2020	10:30 से 13:00 बजे	सुवर्णरेखा परियोजना के कर्मियों के लिये।
07.01.2020	14:30 से 17:00 बजे	सचिवालय एवं अन्य कार्यालयों के कर्मियों के लिये।

स्थापना प्रभारी केवल उन्ही कर्मियों को प्रशिक्षण हेतु नामित कर भेजेंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। बिना समुचित प्रधिकार के कर्मी प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकेंगे।

कृपया अपने अधीनस्थ सभी स्थापना प्रभारी को इस संबंध में सूचित किया जाय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की जाय ताकि शत–प्रतिशत स्थापना आदेश का निर्गमन HRMS के माध्यम से हो सके।

उक्त के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिये नोडल पदाधिकारी, HRMS के मेल आई डी० nod.wrd-jhr@nic.in अथवा मो० नं०–9430331666 / 8271105423 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

18.12.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक–5 / विविध 14–65 / 2014 ज०स०वि० 7463 / राँची, दिनांक– 18/12/19

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित प्रशिक्षक को प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।

18.12.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक–5 / विविध 14–65 / 2014 ज०स०वि० 7463 / राँची, दिनांक– 18/12/19

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जलभवन स्थित सभागार आरक्षित की जाय एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

18.12.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक–5 / विविध 14–65 / 2014 ज०स०वि० 7463 / राँची, दिनांक– 18/12/19

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जलभवन स्थित सभागार में प्रत्येक पाली में 100 व्यक्तियों के लिये अल्पाहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

18.12.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक–5 / विविध 14–65 / 2014 ज०स०वि० 7463 / राँची, दिनांक– 18/12/19

प्रतिलिपिः– वेब सूचना प्रबंधक को विभागीय वेब साईट पर Upload किये जाने हेतु प्रेषित।

18.12.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची